कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा म0प्र0

।। वाहन नीलामी विज्ञप्ति ।।

क्रमांक 80 /नजा0अनु0/2026 हरदा, दिनांक 29/01/2026

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा जिला हरदा के आधिपत्य के अनुपयोगी कुटुम्ब न्यायालय के शासकीय वाहन –HONDA CITY क्रमांक–MP-02-HC-0011 का निर्धारित अपलेखन मूल्य राशि–**1,20,000/–** (जहॉं है, जैसी स्थिति में है)का विक्रय खुली नीलामी के माध्यम से **दिनांक 14.03.2026 को समय दोपहर 02.00 बजे से 03.00 बजे तक नीलामी स्थान न्यायालय परिसर ए0डी0आर0सेन्टर के पास हरदा मे किया जाना है।**

उक्त खुली नीलामी में राशि–**10,000/–** (शब्दों में– दस हजार रूपयें मात्र) अमानत राशि के रूप में जमा कर, भाग लिया जा सकता है।

खुली नीलामी किये जाने वाले वाहन का विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्रं0	वाहन क्रमांक/वाहन का प्रकार	वह स्थान जहां वाहन सुरक्षित रखा गया है।	वाहन का निर्धारित अपसेट मूल्य राशि	अमानत राशि	नीलामी स्थल
02	एम.पी. 02 एच.सी. 0011 होण्डा सिटी (कुटुम्ब न्या. स्थापना)	जिला न्यायालय परिसर हरदा	1,20,000/–	10000/–	जिला न्यायालय परिसर हरदा

!! नीलामी की शर्तें !!

उपरोक्त शासकीय वाहन की खुली नीलामी संबंधी कार्यवाही निम्न शर्तो के अनुरूप किया जाना है :–

1. तालिका में उल्लेखित शासकीय वाहन का अपलेखन मूल्य निर्धारित है।
2. वाहन को विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से नीलामी दिनांक से एक दिन पहले तक देखा जा सकता है। वाहन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलाम/विक्रय किया जावेगा।
3. वाहन के परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का भाड़ा आदि देय नहीं होगा।
4. नीलामी/विक्रय कार्यवाही में भाग लेने के पूर्व नीलामीकर्ता/न्यायालय कर्मचारी जिला नाजिर/सेल अमीन जिला न्यायालय हरदा के पास राशि रूपये– 10,000/– (दस हजार मात्र) अमानत के रूप में अग्रिम जमा करना होगी। स्वीकृत बोलीकर्ता द्वारा अमानत के रूप में अग्रिम जमा राशि समायोजित की जा सकेगी एवं असफल बोलीकर्ता की राशि वापस की जावेगी। बोलीकर्ता द्वारा स्वयं का वैधानिक पहचान दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।

5 बोली स्वीकृति आदेश जारी होने के 03 दिवस के अन्दर बोली की संपूर्ण राशि नियमानुसार ऑनलाईन ई–चालान के माध्यम से शासकीय हेण्ड 0070–01–102–0000 में जमा कराना होगा। चालान की स्वहस्ताक्षरित प्रति नजारत अनुभाग जिला न्यायालय हरदा म0प्र0 में जमा कर विक्रयशुद्वा वाहन स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जा सकेगी।

6 बोली अंतिम रूप से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय हरदा म0प्र0 द्वारा स्वीकृत की जावेगी। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दें।

7 वाहन नीलामी के संबंध में विवाद के संबंध में वाहन नीलामी हेतु अधिकृत प्रभारी का निर्णय समस्त बोलीकर्ता पर बंधनकारी होग्‍ वाहन नीलामी हेतु अधिकृत प्रभारी अधिकारी को विक्रय की शर्तो में बदलाव आंशिक निरस्त पूर्णरूप से निरस्त करने का अधिकारी होगा।

8 नीलाम/विक्रय शुद्वा वाहन का नीलामी में विक्रय किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र/वाहन सुपुर्दगी आदेश प्रभारी अधिकारी हरदा द्वारा जारी किया जावेगा। इस प्रकार का प्रमाण–पत्र/ वाहन सुपुर्दगी आदेश जारी किये जाने के उपरांत वाहन को यथास्थिति में स्वयं के व्यय पर ले जाना होगा। विलम्ब की स्थिति में दैनिक आधार पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा द्वारा निर्धारित स्थल भाटक अदा करना होगा।

9 नीलामी/विक्रय की कार्यवाही में बोली लगाने हेतु भाग लेने वाले बोलीकर्ता के संदर्भ में यह माना/समझा जावेगा कि उन्हें नीलामी/विक्रय की समस्त शर्ते स्वीकार है।

10 सफल बोलीकर्ता द्वारा वाहन के नामांतरण, टैक्स जमा करना बीमा कराना आदि समस्त कार्यवाही स्वयं करना होगी, जिनका व्यय भार भी स्वयं वहन करना होगा। तत्पश्चात् वाहन का उपयोग किया जावेगा इस संबंध में कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा। किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय हरदा का होगा।

11 वाहन प्राप्ति के समय वाहन की वर्तमान नम्बर प्लेट नजारत अनुभाग जिला न्यायालय हरदा में जमा की जावेगी।

12 उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन जिला न्यायालय हरदा की वेबसाईट पर अपलोड किया जा सकेगा।

13 इस नीलामी/विक्रय की शर्तो के अधीन जो संस्था या व्यक्ति जिला न्यायालय परिसर हरदा म0प्र0 में आयोजित खुली नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी/विक्रय से संबंधित अन्य जानकारी अथवा वाहनों का भौतिक अवलोकन क्रमशः जिला नाजिर, नजारत अनुभाग जिला न्यायालय हरदा म0प्र0 में कार्यालयीन समय में संपर्क कर किया जा सकता है।

14 वाहन कमांक, चैचिस नंबर, इंजन नंबर, निविदाकार नीलामी स्थान पर ही मिलान कर लेवे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति कय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।

15. खुली निविदा हेतु https://mptenders.gov.inकी ई–टेण्डरिंग की वेबसाईट पर अपलोड किया जा सकेगा।

Sd.
प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक 83 /अनुपयोगी वाहन नीलामी/2026 हरदा, दिनांक 29/01/2026

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. आयुक्त जनसंपर्क, संचालनालय, विज्ञापन शाखा, बाणगंगा रोड़ भोपाल की ओर निःशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित प्रारूप पृथक से संलग्न।
2. आयुक्त जनसंपर्क, कार्यालय हरदा, की ओर निशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित कर अनुरोध है कि नीलम विज्ञापन की किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराते हुए प्रकाशित अंक के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु प्रेषित।
3. नायब नाजिर/सेल अमीन, नजारत अनुभाग जिला न्यायालय हरदा की ओर प्रेषित कर लेख है कि नीलामी विज्ञापन न्यायालय भवन के मुख्य सूचना पटल, प्रवेश द्वार एवं कलेक्टर कार्यालय हरदा, नगर पालिका हरदा के मुख्य सूचना पटल पर नीलामी विज्ञापन चस्पा करवाया जाना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।
4. जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर, अनुविभाग, हरदा की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाना कि उक्त शासकीय वाहनों की नीलामी की विज्ञप्ति माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय हरदा के वेवसाइट पर अपलोड करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
5. खुली निविदा हेतु https://mptenders.gov.inकी ई–टेण्डरिंग की वेबसाईट पर अपलोड किया जा सकेगा।
6. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग हरदा की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सहायक लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म.प्र.)